

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

दिनांक 17-11-2022

क्रमांक: सहायता/राह/2022/2208

प्रशासनिक स्वीकृति

मान्य वर्ष 2022 में राह से अधिशासी अभियन्ता सापेक्षित जिलाखण्ड सांगोद की तहसील कनवास अतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 975 दिनांक 26.08.2022 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुसंधान सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-9(12) आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/राह/2022/12762-770 जयपुर दिनांक 10.11.2022 के क्रम में अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिलाखण्ड सांगोद तहसील कनवास क्षेत्र की अतिग्रस्त 62 सड़क राशि रु 126.32 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि(SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी - अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिलाखण्ड सांगोद

तहसील :- कनवास

क्र.सं.	रोड का नाम मय लोकेशन	अतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन	रोड की लम्बाई (किमी में)	SDRF मापदण्डों के अनुसार दर (राशि प्रति किमी)	एस.डी.आर. एफ. मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में।
1	2	3	4	5	6
1	दरा कनवास अरनियां अफलेरा रोड कि.मी. 0/0 से 12/500	0/0 to 12/500	12.50	1.00	12.50
2	कनवास से आजादपुरा रोड 0/0 से 9/0	0/0 to 9/0	9.00	1.00	9.00
3	विनोदखुर्द-दिनोदकला- कुराहिया खुर्द-ढाबरी खुर्द-आजादपुरा -मामोर -सलोनिया- लोदाहेडा रोड कि.मी. 9/500 से 22/500	9/500 to 22/500	13.00	1.00	13.00
4	देवली से ओटी बाया बारचौमा रोड (एमडीआर-184) किमी 15/0 से 23/200	15/0 to 23/200	8.20	1.00	8.20
5	सम्पर्क सड़क खजूरी	0/0 to 1/500	1.50	0.60	0.90
6	सम्पर्क सड़क मोरुआला	0/0 to 0/400	0.40	0.60	0.24
7	सम्पर्क सड़क कुराड	0/0 to 1/500	1.50	0.60	0.90
8	पीसाहेडा से आगली	0/0 to 2/0	2.00	0.60	1.20
9	कनवास बाई पास	0/0 to 1/500	1.50	0.60	0.90
10	सम्पर्क सड़क कनवास से जगदीशपुरा	0/0 to 1/300	1.30	0.60	0.78
11	सम्पर्क सड़क बालुहेडा	0/0 to 2/0	2.00	0.60	1.20
12	सम्पर्क सड़क कन्दाफल	0/0 to 5/750	5.75	0.60	3.45
13	आर.एम.सी. बालाजी की खाक से हरिपुरा मांडी	0/0 to 3/0	3.00	0.60	1.80
14	सम्पर्क सड़क रुपारोडा	0/0 to 0/300	0.30	0.60	0.18
15	सम्पर्क सड़क उरना	0/0 to 3/0	3.00	0.60	1.80
16	धुलेट नालोदी	0/0 to 6/0	6.00	0.60	3.60
17	सम्पर्क सड़क बाछीहेडा	0/0 to 2/450	2.45	0.60	1.47
18	सम्पर्क सड़क खण्डगाव	0/0 to 1/0	1.00	0.60	0.60
19	सम्पर्क सड़क वृजनगर	0/0 to 2/0	2.00	0.60	1.20
20	सम्पर्क सड़क विशनपुरा	0/0 to 3/0	3.00	0.60	1.80
21	सम्पर्क सड़क खेडी	0/0 to 3/600	3.60	0.60	2.16

22	ढोटी से कुशलीपुरा	0/0 to 1/90	1.90	0.60	1.14
23	सम्पर्क सड़क बन्दा	0/0 to 1/0	1.00	0.60	0.60
24	कोटा सांगोद एस.एच. 51 से झालरी	0/0 to 5/0	5.00	0.60	3.00
25	सम्पर्क सड़क से बाछीहेडा से कैशोली	0/0 to 2/800	2.80	0.60	1.68
26	सम्पर्क सड़क जागतियाहेडी से कालाजी गौराजी टेम्पल किमी 0/0 से 3/500	0/0 to 3/500	3.50	0.60	2.10
27	हरिपुरा से ढोटी	0/0 to 5/0	5.00	0.60	3.00
28	आवा कनवास रोड से पीतामपुरा	0/0 to 2/0	2.00	0.60	1.20
29	गलाना से धूमडा	0/0 to 3/400	3.40	0.60	2.04
30	सम्पर्क सड़क काटून	0/0 to 4/800	4.80	0.60	2.88
31	कनवास जाजादपुरा रोड से सारोला	0/0 to 2/200	2.20	0.60	1.32
32	एस. एच. 51 से उमरहेडी	0/0 to 1/650	1.65	0.60	0.99
33	बरखेडा रोड से मदारिया	0/0 to 2/450	2.45	0.60	1.47
34	कोटा सांगोद एस.एच. 51 रोड से पालाहेडा	0/0 to 0/500	0.50	0.60	0.30
35	ढोटी से रामनगर	0/0 to 2/500	2.50	0.60	1.50
36	धुलेट से नयागांव	0/0 to 2/600	2.60	0.60	1.56
37	हरिपुरा ढोटी रोड से बराबत	0/0 to 1/100	1.10	0.60	0.66
38	दाता रोड से लक्ष्मीपुरा	0/0 to 0/300	0.30	0.60	0.18
39	सम्पर्क सड़क गोपालपुरा से सावनभादी	0/0 to 2/800	2.80	0.60	1.68
40	गाभीर से कैशोली	0/0 to 2/850	2.85	0.60	1.71
41	जगदीशपुरा से डिंगोनिया	0/0 to 1/00	1.00	0.60	0.60
42	कनवास बाई पास से सीमलिया	0/0 to 3/200	3.20	0.60	1.92
43	कोटा सांगोद रोड किमी 40/500 से खेडली काकूलिया वाचा गरमोडी	0/0 to 3/830	3.83	0.60	2.30
44	झालरा से गोपालपुरा	0/0 to 2/00	2.00	0.60	1.20
45	कनवास आवा रोड से कोलाना जागीर	0/0 to 1/200	1.20	0.60	0.72
46	किशोरपुरा से लालपुरा	0/0 to 2/00	2.00	0.60	1.20
47	उरना से खोदवाखेडी	0/0 to 1/150	1.15	0.60	0.69
48	दरा कनवास धुलेट रोड से किमी 2/500 से किशोरसागर	0/0 to 2/200	2.20	0.60	1.32
49	आवा से मंगलपुरा	0/0 to 3/00	3.00	0.60	1.80
50	मुन्जारा से किशनपुरा	0/0 to 3/500	3.50	0.60	2.10
51	गरमोडी से कपोलिया	0/0 to 4/150	4.15	0.60	2.49
52	एस. एच. -51 किमी 38 राजपुरा	0/0 to 1/150	1.50	0.60	0.90
53	कनवास धुलेट रोड से काल्याखेडी	0/0 to 1/050	1.05	0.60	0.63
54	कन्दाफल से काटून वाया इस्लामनगर	0/0 to 3/500	3.50	0.60	2.10
55	मिसिंग लिंक झालरी से खेडी	0/0 to 2/0	2.00	0.60	1.20
56	धुलेट से लोडाहेडा रोड से बरबरिया (काशीपुरा)	0/0 to 1/650	1.65	0.60	0.99
57	सावनभादी टोडी पुलिया से गोपालपुरा रोड	0/0 to 1/0	1.00	0.60	0.60
58	बालूहेडा से खेडली काकूलिया	0/0 to 2/0	2.00	0.60	1.20
59	ढोटी से कन्दाफल	0/0 to 2/400	2.40	0.60	1.44

60	बालूहेडा से झालरा	0/0 to 2/00	2.00	0.60	1.20
61	ऊनवास से सावननादी बाया कोलानी	0/0 to 5/600	5.60	0.60	3.36
62	रुपाहेडा से सागर बस्ती	0/0 to 0/780	0.78	0.60	0.47
	योग		182.06		126.32

कार्य करने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत केवल उन्हीं सड़कों की की जावे, जिन सड़कों की क्षति बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ से हुई है जिससे सामान्य जन-जीवन को बाधित होने से सड़कों की तात्कालिक मरम्मत करवाया जाना आवश्यक है।
2. उक्त कार्य को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशण की है।
3. कार्यकारी एजेंसी की वित्तीय शक्ति या PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
4. विभाग द्वारा Per Km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा0नि0विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों की मरम्मत पर न करे।
5. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
6. प्रस्तावों में उन्हीं सड़कों की मरम्मत करवाया जावे जो पेचवर्क द्वारा ठीक करायी जा सकती है।
7. वे सड़कों जो Defect Liability Period के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
8. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
9. कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेंसी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
10. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि का उपयोग में लिया जावेगा।
11. कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वासन कर लेवे एसडीआरएफ नॉर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8182 दिनांक 08.08.2019 द्वारा गणना की जावे।
12. कार्यकारी एजेंसी को यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
13. राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु राशि तभी स्वीकृत की जावे, जब यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से उनकी मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध नहीं है।
14. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यव स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्य को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
15. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
16. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सड़क के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
17. कार्यकारी सन्धा उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करे कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
18. राशि का व्यव करने हेतु लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नॉर्म्स तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
19. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशण पर सिचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

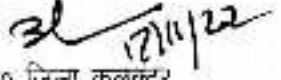
34
जिला कलक्टर,
कोटा

सहायता / भाव / 2022 / 2208

दिनांक 17-11-2022

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर।
2. सम्मार्ग्य आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. अति० मुख्य अभियन्ता सा०नि०वि० सम्भाग कोटा।
4. अधीक्षण अभियन्ता सा०नि०वि० दूत कोटा।
5. उपखण्ड अधिकारी कन्दवास।
6. अधिशासी अभियन्ता सा०नि०वि० सर्वे एवं गुण नियंत्रण खण्ड कोटा।
7. अधिशासी अभियन्ता सा०नि०वि० जिलाखण्ड संगोद।


अति० जिला कलेक्टर,
कोटा